न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 85/2017/डिक्री

1. गोरी पुत्री भूरा जटिया (चमार)
   निवासी धराणा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़।
2. काली पुत्री भूरा जटिया (चमार)
   निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. सुशीला पुत्री भूरा जटिया (चमार)
   निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. रामलाल पिता भूरा जटिया (चमार)
   निवासी सेगवा तहसील चित्तौडगढ़ जिला चित्तौड़गढ़
2. गीता पुत्री भुरा जटिया (चमार)
   निवासी शाहबाद तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 06.10.2016 प्रकरण सं. 201/2016

उपस्थित – 1. श्री राकेशपुरी गोस्वामी – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट– 1

निर्णय दिनांक– 05.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सेगवा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 354 रकबा 1.38 है0 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के पति भूरा को आंवटित होकर उनके गैर खातेदारी मे दर्ज थी, स्वर्गीय भूरा जी के कोई पुरूष संतान नही होने के कारण अपने सगे भाई वजेराम के पुत्र वादी को गोदपुत्र के रूप मे रख लिया जिस पर गोद लेने का समारोह किया गया तथा वादी को लहरिया बांधा तथा वादी के पिता ने वादी रामलाल को भूरा को गोद दिया तभी से वादी भूरा का गोदपुत्र होने के नाते अपना कर्त्तव्य निभाता चला आ रहा है व दत्तक पिता भूरा की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता

चला आ रहा है। वादी के पिता भूरा का देहान्त 18 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा वादी एक अनपढ काश्तकार होने से राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही कर पाया। स्वर्गीय भूरा की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर भूरा के बजाय राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करा लिया व भूरा की पत्नि प्रतिवादी संख्या 5 का नाम भी अंकित नही कराया, प्रतिवादी संख्या 5 की भी मृत्यु हो चुकी है। स्वर्गीय भूरा ने अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 22/06/1998 को 100/–रू. के स्टाम्प पर वादी के पक्ष मे वसीयत निष्पादित कर दी थी। वादी उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम विलोपित करा उक्त आराजीयात अपने खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी होने से वादी की ओर से वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी के कब्जे काश्त मे आये दिन दलखदांजी कर रहे है व राजस्व रिकार्ड मे स्वंय का नाम दर्ज होने के कारण आये दिन आराजीयात को विक्रय करने की धमकी दे रहे है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादपत्र मे अंकित विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी की घोषित की जाने की घोषणात्मक डिक्री एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करने का आदेश प्रदान करावे।

2. वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपनी ओर से कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत वसीयत को सही होना नही माना जा सकता है। पत्रावली मे किसी प्रकार की मौखिका एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को गोद पुत्र मानकर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्टस को पूर्व मे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06/10/2016 को निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की तामील होवे बिना ही उक्त प्रकरण निर्णित किया गया है जिसके कारण उक्त निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल नही हुई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्टस सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्टस /प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। पत्रावली मे किसी प्रकार का सम्मन एवं तामील सम्बन्धित रिकार्ड भी उपलब्ध नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 201/2016 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06/10/2016 अपास्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़